

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक: प.10/भू0अ0/ज0स0/2021/

जयपुर दिनांक:-

अधिसूचना

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) की धारा 8(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा काचरी लिफ्ट लघु सिंचाई परियोजना में संलग्न सूची अनुसार सिंचित भूमि क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ परियोजना क्षेत्र घोषित करती है।

संलग्न:-सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्रावेधिक सहायक
जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 10 / भू 0 अ 0 / ज 0 स 0 / 2021 / 4645

दिनांक : 23-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री जल संसाधन राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन राजस्थान सरकार।
5. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
6. शासन सचिव जल संसाधन राजस्थान सरकार।
7. जिला कलेक्टर बांरा।
8. निर्देशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को आन लाईन प्रेषित कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराने की कार्यवाही बाबत कनिष्ठ सहायक अतिरिक्त शासन सचिव प्रकोष्ठ।
9. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा।
10. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, बांरा।
11. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, प्रथम बांरा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने व अधिनियम की पालनार्थ अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव एवं प्रावेधिक सहायक
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)


काचरी लिफ्ट लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
	काचरी लिफ्ट		
1	काचरी	अन्ता	बारां
2	बमुलिया जोगियान	अन्ता	बारां
3	अंता	अन्ता	बारां
4	तामखेडा	अन्ता	बारां
5	पलसावा	अन्ता	बारां
6	डावरी काकाजी	अन्ता	बारां


अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड-प्रथम, बारां


अधीक्षण अभियन्ता
जल संसाधन वृत्त, बारां

प्रति हस्ताक्षरित


(जितेन्द्र दीक्षित)

रूप शासन सचिव अधीक्षण अभियन्ता
एवं त.स. बारां जल संसाधन विभाग, जयपुर